

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.576/एग्जिट/2016/एसडीआर/खण्ड-1 दिनांक: 31 मार्च, 2016

अधिसूचना

यतः असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचनों की घोषणा आयोग के दिनांक 4 मार्च, 2016 के प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/16/2016 के द्वारा की जा चुकी है, और

2. यतः आयोग द्वारा घोषित अनुसूची के अनुसार असम और पश्चिम बंगाल में प्रथम चरण के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन दिनांक 04-04-2016 को अनुसूचित किए गए हैं, और केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों में निर्वाचनों का अंतिम चरण दिनांक 16-05-2016 को होगा, और

3. यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एग्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा। 4. यतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा(2) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा दिनांक 04.04.2016 को पूर्वाह्न 07.00 बजे और दिनांक 16.05.2016 को 18.30 घंटा(अप.6.30) बजे के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान आयोग के दिनांक 4 मार्च, 2016 के प्रेस नोट के द्वारा घोषित असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी के विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का किसी भी ओपीनियन पोल या प्रत्येक चरण से संबंधित अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश

**(अनुज जयपुरियार)
सचिव**

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं.576/एगजिट/2016/एसडीआर/खण्ड-1

दिनांक: 31 मार्च, 2016

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

- (1) असम
- (2) केरल
- (3) तमिलनाडु
- (4) पश्चिम बंगाल
- (5) पुडुचेरी

विषय: असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन-एगजिट पोल-तत्संबंधी।

महोदय,

मुझे, आयोग की दिनांक 31 मार्च, 2016 की अधिसूचना

सं.576/एगजिट/2016/एसडीआर/खण्ड-1 इसके साथ इस अनुरोध सहित अग्रेषित करने का निदेश हुआ है कि इसे राज्य के राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा उसकी एक प्रति रिकार्ड के लिए आयोग को भी भेजी जाए।

इसे न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेस, रेडियो और टेलीविजन चैनलों इत्यादि सहित सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए तथा इसका सख्ती से अनुपालन करने के लिए इसे व्यापक रूप से मुख्य स्थानीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाए।

भवदीय,

ह./-

(ए.के.भटनागर)

अवर सचिव